**BHARTI RAJ**
R.Ac.S.
Additional Director

राजस्थान सरकार
सत्यमेव जयते

Additional Director Pension
& Pensioner's Welfare Department
Zone Office, Udaipur
Office : 0294-2491129
E-mail : adpensionudaipur@gmail.com

3048
21/03/24

विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष
उदयपुर सभाग ।

विषयः— IFMS 3.0 पर Advance Increment की सुविधा के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियमों के तहत सेवानिवृत कार्मिकों के पेंशन प्रकरण सेवानिवृति की तिथि से 6 माह पूर्व ही पेंशन विभाग को अग्रेषित करने संबंधी प्रावधान उल्लेखित है ।

**अतः भविष्य में माह जुलाई / जनवरी में सेवानिवृति होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरण जिनमें कार्मिकों को वेतनवृद्धियॉ स्वीकृत की जानी है उनको आगामी वेतनवृद्धि Advance Increment जोडते हुए Tentatively पेंशन प्रकरण IFMS 3.0 पर भेजने की सुविधा विकसित की जा चुकी है** । अतः ऐसे कार्मिक जिन्हें आगामी जुलाई / जनवरी में सेवानिवृति किया जाना है **उनके पेंशन प्रकरण आगामी वेतनवृद्धि Advance Increment जोडते हुए ही IFMS 3.0** पर अग्रेषित कराने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित कराने का श्रम करावे ।

साथ ही उन्हें यह भी निर्देशित करावे कि **सेवानिवृत कार्मिकों की सेवानिवृति के पूर्व यदि उनके अग्रिम वेतनवृद्धि में परिवर्तन होता है** तो पेंशन कार्यालय व पेंशन भुगतान अधिकारी को यथा समय अनिवार्य रूप से सूचित करावे ताकि नियमानुसार कार्यवाही की जा सके ।

(भारती राज)
अतिरिक्त निदेशक